निर्णय ब इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 16/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी स्व॰ श्री तेज्या उर्फ तेज़ाराम
2. कालूराम पुत्र स्व॰ श्री तेज्या उर्फ तेजाराम
3. हरिनारायण पुत्र स्व॰ श्री तेज्या उर्फ तेजाराम
4. नानूराम पुत्र स्व॰ श्री तेज्या उर्फ तेजाराम पत्नी श्री लल्लू प्रसाद
5. श्रीमती श्यामा देवी पुत्री स्व॰ श्री तेज्या उर्फ तेजाराम पत्नी श्री लल्लू प्रसाद
6. श्रीमती जुगली देवी पुत्री स्व॰ श्री तेज्या उर्फ तेजाराम

समस्त ज़ाति माली निवासी फूलबाडी, हनुमान मन्दिर के पीछे, पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री लक्ष्मीकान्त कटारा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर
2. लादूराम पुत्र स्व॰ लच्छू जाति माली निवासी जयसिंहपुरा खोर, तहसील जयपुर, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती नानगी पुत्री स्व॰ श्री लच्छू पत्नी श्री रूडा जाति माली निवासी ढेहर का बालाजी, जयपुर ।
4. छोटे लाल पुत्र स्व॰ श्री सेवाराम उर्फ सेवा जाति माली निवासी फूलवाडी, हनुमान मन्दिर के पीछे, पीली की तलाई, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिला प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 44/2020 व टी आई संख्या 31/2020 ब उनवानी श्रीमती मोहनी व अन्य बनाम लादूराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री जय प्रकाश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 44/2020 व टी आई संख्या 31/2020 ब उनवानी श्रीमती मोहनी व अन्य बनाम लादूराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री कुलदीप शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाव पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी मुकदमें में पीठासीन अधिकारी ने मनमानी करते हुये प्रकरण में जारी प्रार्थीगण–वादीगण के हक में जारी स्टे आदेश को अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण से मिल कर निरस्त करने के आशय से लगातार लगभग एक माह से कम्रशः दिनांक 15.12.2020, 21.12.2020, 28.12.2020, 04.01.2021, 11.01.2021 व 18.01.2021 तारीख पेशियां दुराशय पूर्वक अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण को फायदा पहुंचाने के लिये नियत कर प्रकरण को निर्णित करने पर उतारू है। प्रार्थीगण–वादीगण को अभी हाल ही में 17.01.2021 को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण एवं उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के मध्य काफी अच्छे ताल्लुकात है। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण के ही बहैसियत मित्रवत सम्बन्धों के चलते आते जाते रहते है। जिससे अव प्रार्थीगण–वादीगण को पूर्ण विश्वास व भरोसा हो गया है कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने उक्त कार्य तारीख पेशियां अप्रार्थीगण–प्रतिवादीगण को नाजायज व विधि विरूद्व जाकर प्रकरण में वेजा फायदा पहुंचाने के लिए नियत की है। इन हालात में प्रार्थीगण–वादीगण को उक्त वाद पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थीगण–वादीगण ने इसी बाबत पीठासीन अधिकारी से निवेदन भी किया मगर उन्होंने प्रार्थीगण–वादीगण के कथन को मानने से इन्कार करते हुये प्रकरण को अन्तिम बहस/निर्णय हेतु मुकर्रर कर रखा है। इन हालात में प्रार्थीगण–वादीगण भी अपना मुकदमा इस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई आशा नही है। इसलिए प्रार्थीगण–वादीगण अधीनस्थ अदालत के पीठासीन अधिकारी से प्रकरण को निर्णित करवाने के इच्छुक नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर से एक पक्षीय स्थगन प्राप्त कर रखा है, जिसका अप्रार्थी द्वारा जबाब दिये जाने पर प्रार्थी ने बहस हेतु दो बार तारीख पेशिया ली। तीसरी बार की तारीख पर स्थगन पर बहस हो गई और पत्रावली दिनांक 18–1–2021 को वास्ते आदेश में नियत थी। तभी प्रार्थी ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी जानबूझ कर उक्त प्रकरण को लम्बित करने के उद्वेश्य से पीठासीन अधिकारी पर झूंठे आरोप लगा कर न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से यह पाया गया है कि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा प्रार्थी के पक्ष में एक पक्षीय स्थगन जारी कर रखा है, जिस पर अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किये जाने के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा उभय पक्ष की बहस सुन कर वास्ते आदेश पत्रावली रिजर्व रखी गई। इसी दौरान प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थी

जिला कलक्टर जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

अपने पक्ष में जारी एक पक्षीय स्थगन आदेश को येनकेन प्रकारेण आगे जारी रखने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पीठासीन अधिकारी पर आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी ने न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग किया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी आमेर ने भी अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरापों का खण्डन किया है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर